10-11-15 पत्रावली प्रस्तुत। पूर्व नियत दिनांक को बहस सुनी गई थी। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस में बताया कि तरीकी रेस्पो० मुरु की मृत्यु दि० 23-2-04 को हो गयी थी। उसके वारिसान को रिकार्ड पर लेने के लिए दि० 9.7.04 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया था कि उसकी पत्नि व अव्यस्क बच्चो को रिकार्ड पर लिया जावे। पूरा दावा ही अबेट कर खारिज कर दिया गया है जबकि मुरु तरीकी रेस्पो था उसके कोई रिलिफ भी नहीं चाहिए थी मुरु के हद तक ही दावा अबेट किया जाना चाहिए। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई हेतु लौटाया जावे।

रेस्पो० के अभिभाषक का बहस में जवाब है कि वादी का यह

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दायित्व था कि 10 दिन मे वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते अतः दावा स्वतः ही अबेट माना जाता है आर्डर 22(3) के अन्तर्गत अबेटमेंट को अपास्त करने हेतु न्यायालय मे प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना चाहिए। अपिलान्ट ने 22(4) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। लापरवाही एवं असक्षमता की श्रेणी मे आता है ऐसी स्थिति मे अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है अतः अपिल खारिज की जावे।	
	अपिलान्ट के अभिभाषक ने बहस जवाबुलजवाब मे बताया कि दि. 23-2-04 को वारिसान का वकालतनामा प्राप्त हो गया था रेस्पोडेन्ट का भी दायित्व था कि वह मे न्यायालय को सुचित करते।	
	हमने विद्वान अभिभावकगण की बहस पर मनन किया। आर्डर 22 (4) (3) मूलतः इस प्रकार है। " जहाँ विधि द्वारा परिसीमित समय के भीतर कोई आवेदन	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्श जज	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उपनियम (1) के अधीन नहीं किया जाता है वहां वाद का, जहां तक वह मृत प्रतिवादी के विरुद्ध है, उपशमन हो जायेगा।	
	इन प्रावधानो से स्पष्ट है कि पूरा दावा अबेट नहीं होकर केवल मृत प्रतिवादी के विरुद्ध ही उपशमन होगा। मृतक वारतीको रेस्पा. है जिसके खिलाफ कोई रिलिफ नहीं चाही गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूरा दावा ही अबेट मानकर खारिज किया है अतः इस आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है केवल दावा मृतक के विरुद्ध ही अबेट होगा। ऐसी स्थिति मे अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय को पुनर्प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि मृतक के	
अलावा	शेष प्रतिवादीगण की सुनवाई कर उचित आदेश पारित करे दोनो पक्षो को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 25.11.15 को उपस्थित होकर अपनी 2 पैरवी सुनिश्चित करे। आदेश आज दिनांक 10.11.15 को सुनाया गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी ... अलवर